



Neutral Citation No. - 2026:AHC:161234

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या - 3020 वर्ष 2026

क-(किशोर)

..... पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

..... विपक्षी पक्षकार(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) की ओर से अधिवक्ता : अभिषेक त्रिपाठी, सुनील कुमार मिश्रा

विपक्षी पक्षकार(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चन्द्र शर्मा

पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज दाखिल की गई द्वितीय अनुपूरक शपथपत्र, जिसमें जिला परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट संलग्न है, को अभिलेख पर लिया जाता है।

सूचनादाता पर नोटिस की तामील हो जाने के बावजूद, उसकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणवादी द्वारा अपने पिता के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा 102 के अंतर्गत (जिसे आगे "किशोर न्याय अधिनियम, 2015" कहा गया है) वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार करने तथा विद्वान अपर जिला

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



एवं सत्र न्यायाधीश/(लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम), किशोर न्यायालय, हापुड़ द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 09/2026 (क- किशोर बनाम कश्मीर सिंह एवं अन्य) में पारित दिनांक 26.02.2026 के निर्णय एवं आदेश तथा किशोर न्याय बोर्ड, हापुड़ द्वारा पारित दिनांक 03.02.2026 के आदेश को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, पुनरीक्षणवादी को मुकदमा संख्या 188/2025, जो मुकदमा अपराध संख्या 544/2025 से उत्पन्न हुआ है, में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103(1), 3(5) के अंतर्गत जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में अपचारी करने वाले बालक की आयु लगभग 15 वर्ष 9 माह थी और वह कृत्य की प्रकृति को समझने की स्थिति में नहीं था। आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी, किंतु बाद में विवेचना के दौरान उसका नाम अन्य सह-अभियुक्तों के साथ प्रकाश में आया, जिन्हें इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 2965/2026 में दिनांक 30.07.2026 के आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान पुनरीक्षणवादी का मामला समान आधार पर है।

यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया गया और यहां तक कि परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी विचार नहीं किया गया। अपीलीय न्यायालय ने भी इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया, बल्कि अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना तथा उक्त अधिनियम की धारा 12 में निहित विधि पर विचार किए बिना जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के अन्य अपराधियों की संगति में सम्मिलित होने की संभावना की आशंका का उल्लेख विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश में किया गया है और अपीलीय न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, जबकि अभिलेख पर उपलब्ध परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में ऐसी कोई संभावना व्यक्त नहीं की गई है। विधि का उल्लंघन करने वाला बालक दिनांक 17.11.2025 से किशोर बालगृह में है और उसका मनोविज्ञान

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। अतः किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने तथा दाण्डिक पुनरीक्षण को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपर्युक्त प्रार्थना का विरोध किया।

वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क, अभिलेख के परिशीलन, प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों, जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा वर्तमान पुनरीक्षणवादी का मामला समान आधार पर होने पर विचार करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर समुचित रूप से विचार नहीं किया, बल्कि अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार, इस पुनरीक्षण में आधार प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं।

तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 03.02.2026 को तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पारित आदेशों को एतद्वारा निरस्त किया जाता है और वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण एतद्वारा **स्वीकार** किया जाता है।

यह निर्देशित किया जाता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक/आवेदक को पुनरीक्षणवादी (विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के पिता) द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करने पर, संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) पुनरीक्षणवादी/पिता यह वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि जमानत पर रिहा होने के पश्चात् पुनरीक्षणवादी को किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अथवा उसे किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा और आगे यह कि पिता यह सुनिश्चित करेगा कि किशोर द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति न की जाए।

(ii) पुनरीक्षणवादी/पिता आगे इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि किशोर अपनी उपयुक्त स्तर की शिक्षा जारी रखेगा, जिसके लिए उसे अन्य रचनात्मक गतिविधियों के साथ-साथ प्रोत्साहित किया जाएगा और उसे अनुत्पादक तथा अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) किशोर तथा पुनरीक्षणवादी/पिता प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे।

(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा और नियमित रूप से उसकी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को ऐसी आवधिक अवधि के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि किशोर न्याय बोर्ड निर्धारित करे।

3 अगस्त, 2026

अशोक गुप्ता

(न्यायमूर्ति सुभाष चन्द्र शर्मा)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”